ठाकुर रामानन्दन सिंह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), शिवहर।

Website-dietsheohar.org **Email-dietsheohar@gmail.com**

कार्यालय–आदेश

डी.एल.एड, सत्र 2021–23 में विज्ञान एवं कला/वाणिज्य विषय के 100 (विज्ञान–50, कला/वाणिज्य–50) सीट के विरूद्ध प्रथम एवं द्वितीय मेधासूची के आलोक में नामांकन के उपरांत विभिन्न कोटि के रिक्त सीटों को खुली कॉउन्सेलिंग के माध्यम से भरा जाना हैं। विभिन्न कोटि के रिक्त सीट तथा कटऑफ अंक का विवरण निम्न है।

संकाय– विज्ञान

कोटि	रिक्त	कटऑफ अंक (प्रतिशत में)
सामान्य (UR)	07	76.15 से 79.80 तक के सभी अभ्यर्थी
सामान्य महिला (URF)	03	74.10 से 76.05 तक „ „
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	01	76.40 से 78.10 तक „ „
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला (EWSF)	01	73.10 से 75.90 तक „ „
पिछड़ा वर्ग (BC)	01	78.40 से 78.95 तक „ „
पिछड़ा वर्ग की महिला (BCF)	01	74.30 से 75.25 तक „ „
अत्यंत पिछडा वर्ग (EBC)	03	72.90 से 77.30 तक „ „
अत्यंत पिछडा वर्ग की महिला (EBCF)	02	69.70 से 71.50 तक „ „
अनुसूचित जाति (SC)	02	70.50 से 74.40 तक „ „
दिव्यांग (PH)		57.56 से 67.10 तक के सभी अभ्यर्थी

संकाय– कला/वाणिज्य

कोटि	रिक्त	कटऑफ अंक (प्रतिशत में)
सामान्य (UR)	02	72.00 से 75.00 तक के सभी अभ्यर्थी
पिछड़ा वर्ग (BC)	04	68.70 से 72.40 तक „ „
अत्यंत पिछडा वर्ग (EBC)	01	71.30 से 72.00 तक „ „
अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला (EBCF)	01	70.30 से 70.70 तक „ „
उर्दू	02	7[illegible] से 72.38 तक „ „
दिव्यांग (PH)		48.66 से 64.70 तक के सभी अभ्यर्थी

दिव्यांगता से संबंधित वरीयता का क्रम क्रमशः i -मूखबधिर ii चलन तथा iii दृष्टिबाधित दिव्यांगता होगा।

रिक्त सीट के 5 गुणा अभ्यर्थियों को कॉउन्सेंलिग हेतु बुलाया जाता है। उपस्थित अभ्यर्थियों में से कोटिवार/ विषयवार पत्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को मेधा अंक अवरोही क्रम में सजाने पर जिसका मेधा अंक अधिक होगा उसी का नामांकन किया जायेगा । कॉउन्सेलिंग में वैसे अभ्यर्थीी भाग लेंगे जो संस्थान मं नामाकनहेतु आवेदन किए हैं कॉउन्सेलिंग की तिथि दिनांक 01.10.2021 एवं 02.011.2021 को 10:30 बजे से 04:00 बजे अपराह्न तथा दिनांक 02.11.2021 को 10'00 पूर्वाहन् से 02.:00 बजे अपराहन् हैं तत् पश्चात् दिनांक 02.11.2021 को ही अभ्यर्थी का चयन कर चयन/मेधासूची प्रकाशित किया की जायेगी। नामांकन शुल्क जमा कराने तथा भुगतान रसीद के देने के उपरांत नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। दिनांक 02.11. 2021 को कॉन्सेलिंग में उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद दिनांक 02.011.2021 को भी अभ्यर्थी उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें। 01 जनवरी 2021 को 17 वर्ष की आय तथा निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी ही कॉउन्सेलिंग में भाग ले सकेगे। उपस्थित अभ्यर्थियों में से कोटिवार/विषयवार पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों के मेधा अंक को अवरोही क्रम में सजाने पर जिसका मेधा अंक अधिक होगा उसका नामांकन दिनांक 03.11. 2021 किया जाएगा । उर्दू एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को प्राथमिता होगी। इनके लिए संबंधित कोटि में क्षैतिज आरक्षण का प्रवधान है। इनका नामांकन 02.11.2021 के अपराह्न तथा 03.11.2021 को भी होगा इनसे सीट भरने के उपरांत संबंधित कोटि में अन्य को अवसर दे होगा। कॉउन्सेलिंग में उपस्थिति दर्ज होना नामांकन की गारंटी नहीं मानी जायेगी।

31.10.2021
वरीय व्याख्याता
डायट, शिवहर।

31/10/21 31.10.2021

प्रभारी प्राचार्य
डायट, शिवहर।

ठाकुर रामानन्दन सिंह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), शिवहर।
Website-dietsheohar.org Email-dietsheohar@gmail.com

कॉउन्सेलिंग में निम्न लिखित मूल प्रमाण–पत्रों /दास्तावेजो के साथ अभ्यर्थी उपस्थित होंगे।

01 ऑनलाइन किये गये आवेदन की प्रिंट प्रति जिसमें संबंधित विवरण के साथ–साथ आवेदन शुल्क जमा करने का भी स्पष्ट उल्लेख हो ।

02 मैट्रिक परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र ।

03 इंटरमिडिएट परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र ।

04 आवासीय प्रमाण–पत्र की मूल प्रति (जो एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)।

05 आरक्षित कोटि एवं विशेष दिव्यांग अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति, EWS /विकलंगता प्रमाण–पत्र की मूल प्रति उपस्थापित करेंगें (यदि लागू हो)। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से दिनांक 10.09.2021 के पूर्व का होना चाहिए। जो आवेदन करते समय Upload किया गया हो तथा Uploaded Documents से मिल रहा हो।

06 सभी मूल प्रमाण–पत्र की स्वाअभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट, दो सेट पासपोर्ट साईज फोटों एवं सभी मूल प्रमाण–पत्र तथा अभिलेख दो फोलडर फाईल में जमा करेंगे।

07 सत्यापन के क्रम में प्रमाण–पत्रों में फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन के दावे को रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

08 अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा करायी गयी राशि कभी भी वापस नहीं की जायेगी।

09 रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र ।

नामांकन के समय अभ्यर्थी निम्नलिखित मूल प्रमाण–पत्र उपस्थापित करेंगे।

10 अंतिम शिक्षण संस्थान निर्गत विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र (SLC/CLC)

11 शिक्षण शुल्क के रूप में सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत विछडा वर्ग के अभ्यर्थी 11.500 (ग्यारह हजार पाँच सौ) एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी 7000 (सात हजार) रूपये शुल्क का भुगतान ऑनलाइन/बैंक खाता के माध्यम से होगा।

12. नामांकन सुनिश्चित होने की स्थिति में अभ्यर्थी को 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि i नामांकन के क्रम में दिये जा रहे सभी Documents सही है। ii प्रमाण–पत्र फर्जी पाये जाने की स्थिति में मेरा नामांकन रद्द करते हुए विधिक कार्रवाई की जायेगी। iii इस सत्रावधि में मैं कही/किसी भी संस्थान में नियमित रूप से नामांकित एवं अध्ययनरत नहीं हूँ। iv नामांकन वापसी अथवा रद्द किये जाने की स्थिति में संस्थान में जमा कराये गये शुल्क की वापसी का दावा नहीं करूँगा। अ संस्थान में 85: की उपस्थिति सुनिश्चित करूगाँ/करूगी , अन्यथा की स्थिति में संस्थान द्वारा कार्रवाई के लिए स्वयं जबावदेह हूँगा/हूँगी।

13. उपर्युक्त सभी शर्तो को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

31.10.2021
वरीय व्याख्याता
डायट, शिवहर।

31/10/21

31.10.2021

प्रभारी प्राचार्य
डायट, शिवहर।